न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0पत्र सं0 02/2021

राज्य सरकार जरिये कृषि अधिकारी(प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) दौसा
....प्रार्थी

बनाम

श्री यादराम पुत्र रतनलाल जाटव निवासी ग्राम बिरौदा पोस्ट भनकपुरा तहसील महवा जिला दौसा
..अप्रार्थी

आदान विक्रेता द्वारा अनियमितताएं किये जाने पर जब्त बीज का आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र

उपस्थित:1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री रमेश खंडेलवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी।

<u>निर्णय</u> दिनांक: 30.05.2025

1. सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार मीना, निरीक्षक (बीज, उर्वरक व कीटनाशी) एवं कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) दौसा द्वारा दिनांक 15.6.2021 को बीज जब्त कर राजसात करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। उभय पक्ष बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.6.2021 को कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) ने तहवा तहसील का निरीक्षण हेतु भ्रमण किया। इस दौरान मैसर्स ओम खाद बीज भंडार बालाहेडी मोड ग्राम मोजपुर, महवा के विक्रय परिसर व गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं यथा बीज क्रय बिल, स्टॉक रजिस्टर व बीज अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं पाये जाने के कारण बीज अधिनियम 1966 व बीज नियंत्रण आदेश 1963 के तहत बिक्री पर रोक लाई गई। उक्त फर्म को कृषि अधिकारी(प्रशिक्षण) कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) दौसा द्वारा दो बार नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया किन्तु फर्म द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अतः दिनांक 30.6.2021 को नियमानुसार बीज जब्त किया गया। जब्तशुदा बीज की सूची संलग्न है। दिनांक 15.6.2021 को मैसर्स ओम खाद बीज भंडार बालाहेडी मोड ग्राम मोजपुर, महवा के बाजरा बीज के जिन लॉट नंबर की बिक्री पर रोक लगाई गई थी। उन लॉट नंबर में से संलग्नानुसार बाजरा बीज मौके पर नहीं पाया गया, जिसके लिए बार– बार विक्रेता फर्म के मालिक/प्रतिनिधि श्री यादराम जाटव से पूछताछ करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि संबंधित विक्रेता द्वारा बाजरा बीज खुर्द बुर्द कर दिया गया है जिसके लिए संबंधित आदान विक्रेता के खिलाफ थाने में दिनांक 1.7.2021 को प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। श्री यादराम जाटव द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। चूंकि बीज आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के तहत [illegible] जब्तशुदा बीज को शीघ्र राजसात करने के आदेश फरमावें। बीज अभी ग्राम सेवा सहकारी समिति महवा में सुरक्षित रखा हुआ है। अतः बीज को राजसात करके ग्राम सेवा सहकारी समिति महवा को विक्रय करने एवं प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि उक्त जब्तशुदा बीज को राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि होता है कि दिनांक 15.6.2021 को श्री अशोक कुमार मीना, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) दौसा द्वारा दिनांक 23.6.2024 को फर्म मैसर्स ओम खाद बीज भंडार बालाहेडी मोड ग्राम मोजपुर, महवा के विक्रय परिसर व गोदाम का निरीक्षण किया जाकर मौके से बीज के पैकेट जब्त किये गये थे। उक्त जब्त पैकेटों को महवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 महवा को अभिरक्षा में संभलाया गया। तथा बीज विक्रय का अनुज्ञा पत्र नहीं होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया। श्री यादराम जाटव द्वारा बाजरा बीज को खुर्द बुर्द कर दिया गया है जिस पर संबंधित आदान विक्रेता के खिलाफ महवा थाने में दिनांक 1.7.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चूंकि श्री यादराम जाटव द्वारा बीज नियंत्रण आदेश 1983 की धारा 3 का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जब्तशुदा बीज को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रा0 पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा बीज के 93 बैग/1.5 किलोग्राम पैकेट राजसात किया जाता है। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा को आदेशित किया जाता है कि जब्तशुदा बीज के 93 बैग/1.5 किलोग्राम पैकेट का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर पालना से एक माह में इस न्यायालय को अवगत करावें। अधीनस्थ क्रय विक्रय सहकारी समिति महवा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:44:31 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official